INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 1, January 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

भारत में अंतरजातीय विवाह: अवसर एवं चुनौतियां

Dr. Anusuiya Sahani
Varanasi, Uttar Pradesh

सारांश

भारत में जाति व्यवस्था आज भी एक सामाजिक पदानुक्रम है जिसे ऐतिहासिक रूप से कठोर अतःविवाह एवं पितृसत्तात्मक मानदंडों के द्वारा लागू किया गया है। यद्यपि समकालीन भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह कोई असामान्य घटना नहीं है फिर भी यह कुल विवाहों का एक छोटा प्रतिशत है। अंतरजातीय विवाह एक जटिल और संवेदनशील विषय है जिसे सामान्यतः जातिगत परंपराओं के कारण समाज एवं परिवार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अंतरजातीय विवाहित युगलों को अक्सर भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक सहयोग की कमी, यहां तक की ऑनर किलिंग जैसे हिंसक परिणामों को झेलना पड़ता है। परंतु इन चुनौतियों के बावजूद, ऐसे विवाह जातिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त करने, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने, बेमेल विवाहों को रोकने, अत्यधिक दहेज एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। यह शोध पत्र उत्तर आधुनिकता एवं अंबेडकर के जाति विरोधी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य से अंतरजातीय विवाह को एक समाजशास्त्रीय प्रघटना के रूप में उल्लेखित करता है। अकादमिक शोधों, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना आंकड़ों, वैयक्तिक अध्ययनों इत्यादि जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र भारत में अंतरजातीय विवाहों के अवसर एवं चुनौतियों के वर्णनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है।

कुंजी शब्द: अंतरजातीय विवाह, जाति व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता, हिंसा, ऑनर किलिंग।

1. प्रस्तावना

भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह सबसे जटिल और समृद्ध इतिहास वाली व्यवस्था है जो विवाह एवं सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूप का निर्धारण करती है। परंपरागत रूप से जाति न केवल व्यवसाय अपितु विवाह जैसे व्यक्तिगत सम्बन्धों को भी निर्धारित करती थी। अंतरजातीय विवाह सामान्यतः वर्जित थे और कठोर

सामाजिक बंधनों के कारण अंत:विवाह या अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य था। इसी कारण मनुस्मृति नामक एक प्राचीन ग्रंथ में विवाह सम्बन्धी स्पष्ट नियम दिए गए थे और जातिगत शुद्धता पर विशेष बल दिया गया था जिससे सामाजिक स्तरीकरण को गति मिली (शर्मा, 2018)। समय के साथ जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण निम्न जातियाँ हाशिए पर चली गई और उच्च जातियों के सदस्यों के साथ उनके संभावित विवाह जटिल हो गए। औपनिवेशिक काल में ही इन मानदंडों का प्रतिकार करने वाले सुधारों का आरंभ हुआ जिससे अंतरजातीय विवाहों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में सामाजिक सुधारों की मांग में वृद्धि हुई। डॉ. बी. आर. अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की इस आवश्यकता को पूर्ण करते हुए आधुनिक कानूनी सुधारों की नींव रखी जिसका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करना था (कुमार, (2019)। भारत में अधिकांश लोग अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों पर चर्चा करना वर्जित मानते हैं, किंतु विवाह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान है और जाति व्यवस्था द्वारा थोपी गई बाधाओं को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है।

2. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह

अपनी प्राचीनता के बावजूद विवाह आज भी एक मूलभूत सामाजिक संस्था है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विवाह के स्वरूपों में भिन्नताएँ हैं और विवाह सभी समाजों में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति एवं पारिवारिक लक्ष्यों को गति प्रदान करने वाली व्यक्तिगत साझेदारियों के अतिरिक्त हिंदू परंपरा में विवाह को परिवार तथा समुदाय के प्रति सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाला माना जाता है। चूंकि भारतीय समाज सदियों से जातिगत और धार्मिक आधार पर विभाजित रहा है इसलिए भारतीय सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत एक ही जाति एवं समुदाय के सदस्यों के मध्य विवाह को सम्माननीय माना जाता है और विभिन्न वर्गों तथा धर्मों के लोगों के बीच विवाह को चुनौतीपूर्ण तथा वर्जित माना जाता है।

समाजशास्त्र विषय में परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राज्य प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ हैं। ये परस्पर सम्बन्धित, अविभाज्य और घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इनमें से किसी भी एक संस्था में किया गया कोई परिवर्तन अनिवार्य रूप से अन्य संस्थाओं को प्रभावित करेगा। परिवार एवं विवाह संस्थाएँ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

परिवार के अंदर और बाहर होने वाली प्रक्रियाओं के साथ-साथ विवाह सम्बन्ध का उपयोग आधुनिक समाज के संकट का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।

समाजशास्त्र में, ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से विवाह को दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों पर आधारित यौन तथा भावनात्मक सम्बन्ध और एक स्थायी कानूनी अनुबंध पर आधारित एक स्थिर संरचना के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में विवाह एक उत्सव का अवसर होता है और सामान्यतः परिवार के बड़े-बुजुर्गों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि निर्धारित विवाह जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि पति-पत्नी एक ही जाति और नातेदारी समूह के हों, जबकि प्रेम विवाह को मूल रूप से 'आधुनिक' माना जाता है और इस पर पश्चिम का प्रभाव है (एलेंडॉर्फ, 2013, एलेंडॉर्फ और पांडियन, 2016)।

मोदी के अंतर्गत, हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र और धार्मिक बंधन माना जाता है जबकि मुसलमानों में इसे एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है, किन्तु दोनों ही धर्मों में कुंवारी लड़की का विवाह उसके माता-पिता द्वारा लड़के के परिवार को उपहार स्वरूप दिया जाता है। लोग यह भी मानते हैं कि विवाह एक ऐसा अवसर है जो लड़के तथा लड़की के सम्बन्ध को पति-पत्नी के रूप में पवित्रता और मान्यता प्रदान करता है। इसलिए विवाह का सम्बन्ध इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लड़का और लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते हैं अथवा नहीं अपितु वास्तव में हिंदुओं में यह धारणा विद्यमान है कि आदर्श रूप से लड़की और लड़का एक-दूसरे के लिए अपरिचित होते हैं और अपने माता-पिता के प्रति उनका दायित्व ही उन्हें कभी-कभी अनिच्छुक होते हुए भी विवाह के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। अलग धर्म अथवा जाति में विवाह अधिकतर तब होता है जब दो व्यक्ति 'प्रेम' में होते हैं और उन्होंने एक-दूसरे का चुनाव वैवाहिक साथी के रूप में किया हो। इस प्रकार के विवाह को 'प्रेम विवाह' कहा जाता है, जो निर्धारित विवाह के विपरीत है जिसमें वैवाहिक साथी परिवार द्वारा चुने जाते हैं। मोदी के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि निर्धारित विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान पर आधारित होता जिसे परिवार एवं समुदाय द्वारा पवित्र तथा मान्य माना जाता है और ईश्वर द्वारा उस दिन से उसे प्रेम के उपहार से विभूषित किया जाता है, जबकि प्रेम विवाह को व्यापक रूप से एक 'अपवित्र' बंधन के रूप में देखा जाता है। ये 'प्राकृतिक' जाति पदानुक्रम और सामाजिक वर्ग,

प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा से जुड़ी धारणाओं को चुनौती देता है। इन्हें असामाजिक और अवांछनीय माना जाता है (मोदी, 2002)।

चौधरी के अनुसार, जाति एवं नातेदारी के नियम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में क्षेत्र अध्ययन के दौरान उन्होंने जोड़ों के भाग जाने या प्रेम प्रसंगों के कई प्रसंग का उल्लेख करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि जातिगत शुद्धता, सांस्कृतिक रीति-रिवाज, परिवार एवं समुदाय की प्रतिष्ठा, जाति पंचायत, यौन एवं नैतिक नियम और अत्यधिक हिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जाति के सदस्य 'हत्याओं' और 'फांसी' को जातिगत नियमों एवं सीमाओं को तोड़ने के लिए दिया जाने वाला उचित दण्ड मानते हैं। इस प्रकार के मामले में गाँव या जाति के सम्मान को गाँव के लोगों विशेषकर नेताओं द्वारा प्राथमिकता दिया जाता है। जाति समूहों को पुराने उत्तरी भारतीय सामाजिक मानकों के अनुसार निर्धारित विवाहों द्वारा स्थापित सम्बन्धों और नातेदारी के बंधनों के फलस्वरूप ही व्यापक समाज एवं शासन में शक्ति, मान्यता और प्रभाव प्राप्त होता है। इन जातिगत बंधनों में किसी भी प्रकार की बाधा से परिवार, गोत्र और अंततः पूरे जाति समूह की प्रस्थिति का ह्रास होता है (चौधरी, 1997) इसलिए जाति समूह को संरक्षित करने तथा यौन नियमों को विनियमित करने के लिए विवाह को अपने जाति या समुदाय में ही सम्पन्न करने को प्राथमिकता दिया जाता है।

भारत की कानूनी व्यवस्था द्वारा लगभग 70 वर्ष पूर्व विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अंतरधार्मिक एवं अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दिया गया है, परंतु इसके बावजूद अंत:जातीय विवाह (एक ही जाति में विवाह) का प्रचलन अभी भी प्रबल है। द हिंदू समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में अंतरजातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि लड़कियाँ शिक्षित हो रही हैं और उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं (अनंत, 2016) लेकिन भारतीय समाज में विवाह की व्यापक अवधारणा धार्मिक रीति-रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित रही है और आज भी अपनी जाति एवं धार्मिक समूह में विवाह को प्राथमिकता दिया जाता है।

3. अंतरजातीय विवाह: समकालीन दृष्टिकोण

अलग-अलग जातियों में होने वाले विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोग केवल अपनी ही जाति या धर्म में विवाह करते थे और उस समय जब विवाह का स्वरूप निर्धारित था तब लोगों को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था जिसके कारण अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। आज भी अधिकांश रूढ़िवादी भारतीय परिवार अंतरजातीय विवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरुप अंतरजातीय विवाह आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

भारत में अंतरजातीय विवाहों के प्रति समकालीन दृष्टिकोण में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और सामुदायिक मानदंडों के अनुसार अत्यंत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाह अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य है जबकि ग्रामीण क्षेत्र अधिक रूढ़िवादी एवं परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हैं। अध्ययन से ज्ञात होता है कि समाज के अधिकांश लोग एक ही जाति में विवाह को वरीयता देते हैं और अंतरजातीय विवाह को सांस्कृतिक पहचान एवं परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खतरा मानते हैं (वर्मा, 2020)। यद्यपि वैश्वीकरण के आगमन एवं शिक्षा के अवसर के फलस्वरूप विशेषकर युवाओं के विचार में परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण वे जाति से बाहर विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना प्रारंभ किया गया है, जो विवाहित जोड़ों को आर्थिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है (सिंह, 2021)। किंतु वर्तमान समय में भी सामाजिक वास्तविकता यह है कि अंतरजातीय विवाह अक्सर सामाजिक बहिष्करण, परिवार द्वारा अस्वीकृति और शारीरिक हिंसा जैसी गंभीर चुनौतियों से जुड़े हुए हैं, जो गहरी पारंपरिक सोच और बदलते सामाजिक मानदंडों के मध्य जीवंत संघर्ष का सटीक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं (देसाई, 2021)। अतः यह परिदृश्य दर्शाता है कि व्यक्तिगत पसंद और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना कितना कठिन कार्य है जो अभी भी जातिगत पहचान पर अधिक बल देता है।

2016 के वैवाहिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में 90% विवाह अभी भी 'अरेंज मैरिज' की श्रेणी में आते हैं, जबकि अन्य विवाह 'प्रेम विवाह' की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।[1] 2018 में 1,60,000 से अधिक परिवारों पर किए गए एक सर्वेक्षण में 93% विवाहित भारतीयों ने बताया कि उनका विवाह 'निर्धारित' था, केवल 3% लोगों ने 'प्रेम विवाह' होने की बात कही और 2% लोगों ने बताया कि उनका विवाह 'प्रेम-सह-निर्धारित' था जिसमें परिवारों

[1] https://medium.com/@solutionswebomania/statistics-of-arranged-and-love-marriage-in-india-7e7afde6c13f

की भूमिका होती है और दंपति की आपसी सहमति से विवाह होता है। चक्रवर्ती (2023) के अनुसार, वेडिंगवायर इंडिया द्वारा सगाईशुदा/नवविवाहित जोड़ों के मध्य किए गए एक सर्वेक्षण के अंतर्गत 'भारत में प्रेम विवाहों को तेजी से स्वीकृति मिल रही है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 2020 में 68% विवाहित जोड़ों ने स्वीकार किया कि उनका विवाह पूर्व-निर्धारित था लेकिन 2023 में केवल 44% जोड़ों ने निर्धारित विवाह होने की बात कही जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित विवाहों में 24% की गिरावट दर्ज की गई।'

4. अंतरजातीय विवाह: सांख्यिकीय विश्लेषण

नगरीकरण, शिक्षा और रोजगार में वृद्धि के कारण अंतरजातीय विवाहों को स्वीकार्यता मिल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 6.8% विवाह अंतरजातीय विवाह हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाह (5.2%) शहरी क्षेत्रों (4.9%) की तुलना में अधिक हैं। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि यह अमीर लोगों (4%) की तुलना में गरीब लोगों (5.9%) में अधिक प्रचलित है (जॉइस, 2022)।

साल्वे और तिवारी (2016) के अंतर्गत, वर्ष 2016 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 5% विवाह अंतरजातीय विवाह हैं। अंतरजातीय विवाहों की सबसे अधिक संख्या मिजोरम में है जहाँ 55% विवाह अंतरजातीय हैं, जबकि सबसे कम संख्या मध्य प्रदेश में है जहाँ 1% विवाह अंतरजातीय हैं। एक अन्य अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों में अन्य जातियों की तुलना में अंतरजातीय विवाह करने की अधिक संभावना हैं। एक अध्ययन के अनुसार, 51% माता-पिता अपनी जाति से बाहर विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, केवल एक तिहाई लोग ही इसके विरोध में थे। भारत में 5.58% मामले ऐसे हैं जहां निम्न जाति की महिलाएं उच्च जाति के पुरुषों से विवाह करती हैं। 14% मुस्लिम महिलाएं अंतरजातीय विवाह करती हैं जिनमें से 7.83% महिलाएं निम्न जाति के पुरुषों से और 6.23% महिलाएं उच्च जाति के पुरुषों से विवाह करती हैं। पंजाब में 35% अंतरजातीय विवाह 15-19 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। केरल में इसी आयु वर्ग में 25% अंतरजातीय विवाह होते हैं (जॉइस, 2022)।

5. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

वर्तमान शोध सामाजिक परिवर्तन के कई समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से जुड़ा है किंतु यह विशेष रूप से उत्तर आधुनिकता से सम्बन्धित है। उत्तर आधुनिकता 'जीवन शैली चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का विषय है। अंतरजातीय विवाह भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित संरचना को चुनौती देता है। समाजशास्त्र में ऐसे सामाजिक परिवर्तनों को ल्योटार्ड के सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है, जो परंपरागत सार्वभौमिक सत्य दावों पर प्रश्न उठाते हैं। ल्योटार्ड अपनी पुस्तक 'द पोस्टमॉडर्न कंडीशन (1979)' में उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, 'उत्तर आधुनिकता महान आख्याओं के प्रति अविश्वास है।' महान आख्याएं (Metanarratives) वे व्यापक कथाएं होती हैं जो सार्वभौमिक सत्य होने का दावा करती है। जाति प्रथा, पारंपरिक विवाह नियम, अंतरजातीय निषेध ऐसी ही महान कथाएं हैं। भारतीय समाज में यह धारणा है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और केवल अपनी ही जाति में विवाह श्रेयस्कर है। इस प्रकार यह व्यवस्था संरचनात्मक स्थिरता एवं सामाजिक नियंत्रण का साधन रही है। अंतःजाति विवाह व्यवस्था प्रभुत्वशाली महान कथा के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत ल्योटार्ड के अनुसार, उत्तर आधुनिक समाज किसी एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानता बल्कि छोटी-छोटी कथाओं (Little Narratives) को अधिक महत्व देता है। अंतरजातीय विवाह में जाति नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत चयन, प्रेम एवं सहमति को प्राथमिकता दिया जाता है और सामाजिक पहचान जाति से हटकर व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत कथा सामाजिक महाकथा से ऊपर रखी जाती है। अतः अंतरजातीय विवाह को ल्योटार्ड के उत्तर आधुनिकता सिद्धांत का प्रतिरूप माना जा सकता है क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर आधारित महान आख्याओं को अस्वीकार कर बहुलता, विविधता एवं व्यक्ति केंद्रित लघु आख्याओं को वैधता प्रदान करता है। इसलिए वर्तमान अध्ययन के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है।

6. साहित्य समीक्षा

साथी (2023) अपने अध्ययन में अंतरजातीय विवाहों के संदर्भ में जाति, लिंग और हिंसा के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करती हैं। यह समालोचनात्मक अध्ययन ऑनर किलिंग (सम्मान के नाम पर हत्याओं) और महिलाओं के संरचनात्मक अधीनीकरण पर गंभीर प्रश्न उठाता है। साथी यह बताती हैं कि किस प्रकार जाति-विरोधी नारीवादी आंदोलन

महिलाओं की स्वायत्तता एवं उनकी सक्रिय भूमिका पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है।

जोधका (2015) के अनुसार, अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि होने के उपरांत भी वे कुल विवाहों का एक छोटा हिस्सा है और समाज के प्रतिरोध का सामना करता है। आज भी अपनी-अपनी जाति में विवाह करने वाले जोड़ों को निष्क्रिय और अपवित्र माना जाता है। जब लोग अपने अधिकारों का दावा करते हैं तो इसे पितृसत्ता के लिए खतरा माना जाता है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी सरकारी पहलों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के एक साथी वाले दंपतियों को दो से पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है किन्तु इन योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर अपर्याप्त होता है। कई व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों की जानकारी नहीं होती अथवा सहायता प्राप्त करने के प्रयास में वे नौकरशाही में उलझ जाते हैं।

धर (2013) अपनी पुस्तक में भारतीय समाज और संस्कृति में अंतरजातीय जोड़ों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन पर चर्चा करते हैं। लेखक बताते हैं कि पारंपरिक जातिगत मानदंडों के प्रभाव के कारण ऐसे विवाहों को अक्सर भेदभाव एवं कलंक का सामना करना पड़ता है। यह पुस्तक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता देने वाले कानूनी ढांचों का आलोचनात्मक विश्लेषण करके वास्तविक जीवन की स्थितियों में उनकी अपर्याप्तता को दर्शाता है। यह पुस्तक अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी स्पष्ट करती है और वैवाहिक विकल्पों में स्वीकृति और समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ व्यवस्थागत परिवर्तनों की अत्यधिक आवश्यकता पर बल देती है।

बॉर्डियू (1986) के विचार यह समझाने में सहायक है कि अंत:विवाह जैसी प्रथाओं के माध्यम से बनाए गए नेटवर्क, संसाधन और विशेषाधिकार के कारण जाति किस प्रकार सामाजिक पूंजी के रूप में कार्य करती है। हैबिटस से तात्पर्य जाति और संस्कृति द्वारा निर्मित आंतरिक प्रवृत्तियों से है जो परिवर्तन का विरोध करती है। अंतरजातीय विवाह इन अंतर्निहित प्रथाओं को बाधित करता है और विरासत में मिली सामाजिक पूंजी को चुनौती देता है।

7. शोध पद्धतिशास्त्र

प्रस्तुत अध्ययन भारत में अंतरजातीय विवाहों के अवसर एवं चुनौतियों का पता लगाने हेतु सरकारी रिपोर्टों, जनगणना आंकड़ों, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अकादमिक शोधों, समाचार पत्रों और वैयक्तिक अध्ययनों पर आधारित द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण पर केंद्रित है।

8. अंतरजातीय विवाह की चुनौतियां

कानूनी रूप से भारत में अंतरजातीय विवाहों के प्रति दृष्टिकोण मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु कई वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है जो अपनी जाति से बाहर विवाह करना चाहते हैं (नरूला, 2015)। यद्यपि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अंतरजातीय विवाहों को कानूनी सहयोग प्रदान करता है तथा यह किसी भी धर्म या जाति के दंपत्ति को अपना धर्म बदले बिना विवाह करने की अनुमति देता है जो अंतरजातीय विवाहों के लिए अधिक उदार वातावरण का निर्माण करता है फिर भी इस कानूनी संरक्षण के बावजूद अंतरजातीय दंपत्तियों को सामाजिक बहिष्करण एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी परिवार के किसी सदस्य या समुदाय के सदस्य द्वारा भी उन पर हमला किया जाता है जो अलग-अलग जाति के दो व्यक्तियों के मध्य विवाह सम्बन्ध का विरोध करते हैं (मेनन, 2020)। इस प्रकार समकालीन भारत में अंतरजातीय विवाह करने वाले युगलों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में अभी भी ऐसे परिवार हैं जो अपनी जाति से बाहर विवाह करने पर अपने बच्चों को त्याग देते हैं और उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के पश्चात् दंपति को नियमित रूप से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। परिवार तथा अन्य लोग हमेशा दंपत्ति को तिरस्कृत एवं अपमानित करते हैं। सामान्यतः नव विवाहित दंपतियों के बीच झगड़ा होने पर उनके परिवार के सदस्य उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं किंतु अंतरजातीय विवाह के सम्बन्ध में यह संभव नहीं होता है क्योंकि परिवारवालों के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाहित दंपतियों के बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राव द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन से पुष्टि होता है कि कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाह करने वाले

जोड़ों को पारिवारिक विरोध एवं सामाजिक कलंक के कारण अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समुदाय के लोग अक्सर इन विवाहों को जातिगत शुद्धता के लिए खतरा मानते हैं जिसके फलस्वरुप इन्हें परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। कुछ मामलों में, जोड़ों को सम्मान के नाम पर हिंसा का सामना करना पड़ता है जिसमें उत्पीड़न से लेकर ऑनर किलिंग तक शामिल है, जो जाति आधारित सामाजिक रूढ़ियों को थोपने के विचार को दर्शाता है (राव, 2019)। इसके साथ अंतरजातीय दंपत्तियों को आर्थिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है क्योंकि जोड़ों को संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। जोड़ों में कानूनी जागरूकता की कमी उनकी स्थिति को और जटिल बना देते हैं। अधिकांश लोग विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं, जो अंतरजातीय विवाहों को मान्यता देता है (कर्नाटक सरकार, 2021)। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाहों के लिए सरकारी प्रोत्साहनों का सीमित प्रभाव होता है क्योंकि गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक प्रतिरोध अक्सर वित्तीय सहायता के लाभों पर भारी पड़ता है (मिश्रा, 2019)।

भारत में अंतरजातीय जोड़ों के कुछ वैयक्तिक अध्ययनों से वैवाहिक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का पता चलता है। उदाहरण के लिए, रंजना और राहुल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भिन्न-भिन्न जाति के अंतरजातीय दंपत्ति हैं (पटेल, 2021)। प्रेम और प्रतिबद्धता के बावजूद इन अंतरजातीय जोड़ों को अपने ही परिवारों से गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा है। रंजना के परिवार ने यह आरोप लगाकर राहुल से उसका सम्बन्ध तोड़ने का प्रयास किया कि इससे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी और समाज में उनके बारे में गलत धारणाएं फैलेंगी (चक्रवर्ती, 2019)। एक अन्य प्रकरण में, जाति आधारित अत्याचारों से बचने के लिए महाराष्ट्र से भाग जाने वाले एक युवा जोड़े को उनके संबंधियों द्वारा गंभीर रूप से पीटा गया। अतः यह प्रकरण दर्शाते हैं कि विवाह के लिए जातिगत बाधाओं को पार करने में कितना जोखिम है और किस सीमा तक कट्टरपंथी परिवार जाति व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार के मामले समय-समय पर मीडिया का ध्यान भी आकर्षित करते हैं जिससे सामाजिक विमर्श तो होता ही है और साथ में अंतरजातीय जोड़ों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह भी संज्ञान में आता है।

भारतीय परिवारों में भिन्न जाति के व्यक्ति से विवाह करना एक बड़ा पाप माना जाता है और इसे स्वीकार नहीं किया है। अंतरजातीय विवाह के कारण होने वाला सबसे बड़ा अपराध 'ऑनर किलिंग' है। यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है तथापि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अतः समाज के कुछ वर्ग अभी भी अंतरजातीय विवाहों को स्वीकार नहीं करते हैं।

लेख 'खाप्स, कास्ट्स एंड वॉयलेंस' (2010) में बताया गया है कि हरियाणा का ग्रामीण समुदाय राज्य में व्याप्त जातिवाद और पितृसत्ता के साथ-साथ महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति के कारण भारत के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक माना जाता है। दुब्लिश और खान (2022) द्वारा हरियाणा में 'ऑनर किलिंग' पर किए गए एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि परिवार, समुदाय और रिश्तेदारों के समर्थन से हरियाणा में ये हत्याएं अधिक स्वीकार्य तथा प्रचलित हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के 2015 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2014 में दर्ज 28 मामलों की तुलना में वर्ष 2015 में कुल 251 ऑनर किलिंग के मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ें बताते हैं कि परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा का दावा करने वाले लोगों द्वारा की गई हत्याओं में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसी ब्यूरो के 2020 की रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है कि 2019 में ऑनर किलिंग के 25 मामले दर्ज किए गए (शर्मा, 2022)। गोली और अन्य अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि ऑनर किलिंग के मामले किस प्रकार बढ़ रहे हैं। इस अध्ययन में विभिन्न राज्यों के 1,000 से अधिक ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाले युवा लड़के एवं लड़कियां हिंसा का शिकार हुए हैं (गोली और अन्य, 2013)। इस प्रकार जाति-प्रेरित हिंसा की ये घटनाएं प्रदर्शित करती हैं कि स्वतंत्रता के 78 वर्ष पश्चात् भी भारत में जातिवाद का उन्मूलन नहीं हुआ है। आज भी परिवार के लोग पीड़ित को 'परिवार का कलंक' मानकर अपने-अपने कृत्य को उचित बताते हैं।

प्रेम विवाह और ऑनर किलिंग के कुल दर्ज मामलों में से 33 प्रसंग केवल उत्तर भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से सम्बन्धित हैं। इनमें से 28 मामले केवल उत्तर प्रदेश से दर्ज किए गए थे (हिंदुस्तान टाइम्स, 2016)। 6 मामले 'आत्महत्या' के रूप में और 16 मामले 'लव जिहाद' के रूप में नए 'धर्मांतरण विरोधी कानून, 2020' के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। 9 मामलों में जिस लड़के के साथ उनकी बेटी भाग गई थी उनके परिवार ने उस लड़के के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया। इस समाचार

पत्र के अभिलेखों के अनुसार, भागकर विवाह करने के अधिकांश मामलों में एफआईआर महिला के पिता द्वारा दर्ज कराया गया तथा हिंसा का मुख्य कारण महिला के पिता और भाई रहे हैं। हरियाणा में 2020 में हुए एक अंतरजातीय विवाह के सम्बन्ध में जहां दोनों दंपत्ति हिंदू थे उनका महिला के परिवार ने पारिवारिक सम्मान के नाम पर हत्या कर दिया। हरियाणा के करनाल में अंतरजातीय विवाह के एक अन्य प्रसंग में महिला के पिता ने पुरुष के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया जिसके परिणामस्वरूप पुरुष को जेल भेज दिया गया।

इस प्रकार भारत में अंतरजातीय जोड़ों को जातिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर सामाजिक अस्वीकृति, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव बहिष्कार और शारीरिक हिंसा जैसे कई रूपों में प्रकट होता है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, ऑनर किलिंग और अंतरजातीय विवाहों के विरुद्ध अपराधों में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है जो एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक जाति को महत्व देता है। ऐसी हिंसा केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं है बल्कि यह उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रणालीगत भेदभाव से उत्पन्न होती है जो नागरिकों के मानवाधिकारों, गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं।

9. अंतरजातीय विवाह के अवसर

अंतरजातीय विवाह जातिगत पूर्वाग्रहों एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने और समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नैतिकता, सदाचार आदि मूल्यों का विस्तार करने लिए एक सशक्त उपाय और अवसर प्रदान करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के कई राज्यों में अंतरजातीय जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जैसे; उत्तर प्रदेश में अंतरजातीय जोड़ों के लिए मुख्य रूप से 'डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' का प्रारंभ किया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के युवक/युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ₹2.50 लाख का प्रोत्साहन राशि मिलता है। साथ ही 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' में भी ऐसे जोड़ों को प्राथमिकता और अतिरिक्त आर्थिक सहायता (₹51,000) दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने भी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना' (₹2.50 लाख), राजस्थान में ₹10 लाख तक की सहायता, बिहार में ₹1 लाख और इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें भी अंतरजातीय जोड़ों को सामाजिक

समरसता तथा जातिगत भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माता और जाति के प्रबल आलोचक डॉ. भीमराव अंबेडकर जाति को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अंतरजातीय विवाह की वकालत करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जातिगत भेद हमेशा उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के साथ भेदभाव का कारण बनेगा। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि साथ में भोजन करना और अंतरजातीय विवाह करना भारत से जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सर्वोत्तम संभव तरीका है। उनका विचार है कि केवल जातियों के मिश्रण से ही सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सकता है (अंबेडकर, 2004)।

उच्चता और निम्नता के कारण समाज में कुछ जातियों को पवित्र तथा कुछ जातियों को अपवित्र माना जाता है लेकिन शुद्धता-अशुद्धता का विचार जैविक या प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है। अतः भारत में प्रचलित 'पवित्रता और अपवित्रता' के मिथक को तोड़ने का एक माध्यम अंतरजातीय विवाह हो सकता है।

अंतरजातीय विवाह पारंपरिक जातिगत पदानुक्रम को बाधित करके सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दे सकता है। जातिगत बाधाओं को तोड़कर यह विवाह व्यवसाय, धन वितरण और सामाजिक नेटवर्क पर जाति व्यवस्था के प्रभाव को कमजोर करता है जिससे अधिक समावेशी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अंतरजातीय विवाह व्यापक सामाजिक पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है जिससे शिक्षा, व्यवसाय की संभावना और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होती है (राव, 2019)। नगरीय क्षेत्रों में जहां शिक्षा तक अधिक पहुंच एवं आर्थिक स्वतंत्रता है वहां जाति-आधारित आर्थिक अलगाव में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है क्योंकि अंतरजातीय जोड़े अक्सर जातिगत पहचान की अपेक्षा कौशल और व्यक्तिगत क्षमता को प्राथमिकता देते हैं जिससे अधिक समावेशी कार्य वातावरण का निर्माण होता है (मिश्रा, 2019)।

कुमार अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह जातिगत समानता और सामाजिक एकता की दिशा में प्रगतिशील बदलाव में योगदान देता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहां विविध मूल्यों के संपर्क में आने से समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। यह

विवाह युवा पीढ़ी को जातिगत पूर्वाग्रहों पर प्रश्न करने और सामाजिक पहचान एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे समय के साथ धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं (कुमार, 2018)। अतः अंतरजातीय विवाह सामाजिक परिवर्तन की संभावना को प्रबल करता है।

इसके अतिरिक्त समाज में अंतरजातीय विवाहों की उच्च आवृत्ति से धीरे-धीरे अधिक एकीकृत एवं जाति विहीन समाज का निर्माण प्रशस्त होगा।

एक अंतिम मुद्दा जिस पर ध्यान देना आवश्यक है वह है महिलाओं की स्वायत्तता जो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा नियंत्रित होता है। अंतरजातीय विवाह जातिगत सीमाओं को चुनौती देने तथा महिलाओं को पसंद की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सामाजिक गतिशीलता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का एक परिवर्तनकारी साधन है (विधि शर्मा, 2025)। यद्यपि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम,1961 पारित किया गया है किंतु यह भी सत्य है कि अभी तक समाज से दहेज प्रथा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है। अतः अंतरजातीय विवाह वर पक्ष द्वारा मांगें जाने वाले भारी दहेज एवं दुल्हन की अत्यधिक कीमत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के साथ-साथ जाति के भीतर योग्य साथी न मिलने के कारण होने वाले बेमेल विवाहों (जाति अथवा धर्म के आधार पर असमान विवाह) को रोकने का भी अवसर प्रदान करता है।

10. निष्कर्ष

भारत में विवाह को एक पवित्र संस्कार एवं दो परिवारों का बंधन माना जाता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विकास एवं प्रगति के इस दौर में आज भी अधिकांश लोग जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन करते हैं। जाति व्यवस्था एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम है जो असमानता एवं अलगाव को बढ़ावा देता है। जाति व्यवस्था की जड़े इतनी गहरी हैं कि इससे बाहर निकलने में भारत को अभी बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि भारतीय समाज में सम्बन्ध आज भी जाति के आधार पर ही बनते हैं तथा अंतरजातीय विवाह को अपराध माना जाता है। लोगों में यह धारणा विद्यमान है कि अन्य जाति में विवाह करने से दंपतियों एवं उनके परिवारों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है।

निष्कर्षतः अंतरजातीय विवाह जातिगत गतिशीलता में हो रहे बदलाव का सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जो सामाजिक परिवर्तन का कारक होने के साथ-साथ सामाजिक तनाव का स्रोत भी है। नगरीकरण, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता से प्रेरित यह विवाह पारंपरिक जाति आधारित वैवाहिक संरचना को चुनौती देता है। भारत में अंतरजातीय विवाह इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस प्रकार कानूनी अधिकार एवं सांस्कृतिक मानदंड आपस में टकराते हैं जिससे अंतरजातीय जोड़ों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक समावेशी रणनीति की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि सरकारी प्रोत्साहन और कानूनी ढांचे अंतरजातीय जोड़ों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं लेकिन व्यापक स्वीकृति के अभाव में अंतरजातीय विवाह को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद विधायी संरचना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं फिर भी उनके प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक स्वीकृति में अभी भी कई बड़ी बाधाएं हैं। अंतरजातीय विवाह के समावेशी प्रचार के लिए विधायी संरक्षण को मजबूत करने, सामाजिक कलंक को कम करने और गहराई से जड़ें जमा चुकी जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियानों सहित अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। अंतरजातीय विवाहों को सामाजिक स्वीकृति केवल सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के ठोस प्रयासों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इसमें कई जटिल चुनौतियों भी होंगी तथापि अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ने से धीरे-धीरे अधिक एकीकृत समाज का निर्माण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Allendorf, K. (2013). Schemas of marital change: From arranged marriages to eloping for love. *Journal of Marriage and Family*, 75(2), 453–469.
2. Allendorf, K. & Pandian, R. K. (2016). The decline of arranged marriage? Marital change and continuity in India. *Population and development review*, 42(3), 435.
3. Ambedkar, B. R. (2004). Castes in India: Their mechanism, genesis and development. *Readings in Indian government and politics class, caste, gender*, 131–153.

4. Ananth, M. K. (2016). Inter-caste marriages on the rise despite odds. *The Hindu*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/Inter-caste-marriages-on-rise-despite-odds/article60514868.ece

5. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood.

6. Census of India (2011). Office of the Registrar General & Census Commissioner.

7. Chakraborty, A. (2019). Secularity in Indian Marriage Laws, 104.

8. Chakraborty, D. (2023). Greater involvement and independence — why more Indians are opting for love marriages. *The Print*. https://theprint.in/india/greater-involvement-and-independence-why-more-indians-are-opting-for-love marriages/1540254/#:~:text=The%20study%20conducted%20by%20Wedding wire,compared%20to%2068%25%20in%202020

9. Chowdhry P. (1997). Enforcing cultural codes: Gender and violence in northern India. *Economic and Political Weekly*, 32(19), 1019–1028.

10. Desai, P. (2021). Challenges Confronting Intercaste Couples in Modern India. Contemporary Legal Issues, 67(71).

11. Dhar, R. L. (2013). Intercaste Marriage: A Study from the Indian Context. *Marriage & Family Review*, *49*(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/01494929.2012.714720

12. Dublish P. & Khan, Y. (2022). Impact of honour killings in Haryana, India. *Social Science Journal for Advanced Research*, 1(2), 33–40.

13. Goli S., Singh D. & Sekher, T. (2013). Exploring the myth of mixed marriages in India: Evidence from a nation-wide survey. *Journal of Comparative Family Studies*, 44(2), 193–206.

14. Government of Karnataka (2021). Government incentives for inter-caste marriages in Karnataka. Karnataka Census Report.

15. Hindustan Times. (2016). 792% spike in honour killing cases, UP tops the list: Govt in Parliament. *Hindustan Times*. Retrieved May 5, 2024, from https://www.hindustantimes.com/india-news/792-spike-in-honour-

killing-cases-up-tops-the-list-govt-in-parliament/story-x0IfcFpfAljYi15yQtP0YP.html

16. Jodhka, S. (2015). Sociology of Caste. Oxford University Press.

17. Joyce, W.A. (2022). Impact of intercaste marriage in India: A situational analysis. International Journal of Multidisciplinary Research Review, 8(7).

18. Khaps, Castes and Violence. (2010). *Economic and Political Weekly*, *45*(18), 7–7. http://www.jstor.org/stable/25664399

19. Kumar, S. (2019). Dr. B. R. Ambedkar and the Fight Against Caste-Based Discrimination. Journal of Indian Social Reform, 32(45).

20. Kumar, P. (2018). Marriage Patterns in India: A Sociological Analysis. Sociological Perspectives, 45(3), 180-195.

21. Lyotard, J.F. (1979). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. University of Minnesota Press, 1984.

22. Mody, P. (2002). Love and the law: Love-marriage in Delhi. Modern Asian Studies, 36(1), 223–256.

23. Menon, R. (2020). Legal Frameworks and Human Rights in India: Challenges for Intercaste Couples. Law and Society Review.

24. Mishra, R. (2019). Urbanization and Caste Dynamics in Karnataka. Journal of Social Change, 12(4), 255-267.

25. Narula, R. (2015). Violence Against Intercaste Couples in India: A Social Justice Perspective. Journal of Human Rights.

26. National Crime Records Bureau (2020). Crimes in India, 85.

27. Patel, N. (2021). Case Studies of Intercaste Couples in Rural India, 29.

28. Rao, A. (2019). Socio-Economic Factors in Marital Choice in Karnataka. Karnataka Journal of Sociology, 27(1), 89-101.

29. Sathi, S. (2023). Marriage murders and anti-caste feminist politics in India. *Women's Studies International Forum*, *100*, Article 102816. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102816

30. Singh, R. (2021). State Initiatives for Promoting Intercaste Marriages. Law and Society Review, 92(96).

31. Sharma, M. (2018). Manu smriti and the Evolution of Marriage Norms in India, 54.

32. Sharma, A. (2022). Love in the crosshairs: Honour killings still continue in India. *Outlook*. Retrieved May 2, 2024, from https://www.outlookindia.com/national/india-news-love-in-the-crosshairs-honour-killings-still-continue-in-india-news-305349

33. Salve, P. & Tewari, S. (2016). 5% Of Indian Marriages Inter Caste, In Mizoram, 55%. IndiaSpend https://www.indiaspend.com/5-of-indian-marriages-inter-caste-in-mizoram-55-60885

34. Verma, A. (2020). Contemporary Perspectives on Intercaste Marriages in India. Indian Journal of Sociology, 78(80).

35. Verma, V. (2025). Breking the caste barrier : Inter-caste marriage in India. Innovation the Research Concept, 10(7).

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.